न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 115/2022

जीसीएमएस सं. – 2022/399

वादी

मोहनी पत्नी खेताराम जाति जाट
निवासी डूडीयो की ढ़ाणी कागल
तहसील पीपाड़ शहर

बनाम

प्रतिवादी

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर।
2. सुखीदेवी पत्नी चैनाराम
3. कोयलीदेवी पत्नी पूनाराम(फौत)
   3/1 चुतराराम पुत्र पूनाराम
   3/2 कालुराम पुत्र पूनाराम
   3/3 उदाराम पुत्र पूनाराम
   3/4 पतासी पुत्री पूनाराम
   3/5 परमा पुत्री पूनाराम
4. चैनादेवी पत्नी भींयाराम

   सभी जातियान जाट निवासीगण कागल
   तहसील पीपाड़ शहर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दर्ज तारीख :– 14/11/2022

उपस्थित अधिवक्ता :–
1. श्री मधुसूदन चौधरी– अधिवक्ता वादी।
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर– प्रतिवादी

निर्णय दिनांक : 08/12/2025

वादी ने एक राजस्व वाद पत्र धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि राजस्व ग्राम साथीन चक I की राजस्व सीमा में वादीनी की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन आयी हुई है। जिसका विवरण निम्न अनुसार है:–

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर में	किस्म
862	653	2.2895	बारानी I
132	41/1	2.6131	बारानी II
	42	1.4319	बारानी II

सबूत में नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 संलग्न पेश की।

उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 653 में वादीनी का 1/2 वा हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/2 वॉं हिस्सा है। खसरा नम्बर 41/1, 42 में वादीनी का 1/4 वॉं हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 02 का 1/4 वा हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 का 1/4 वा, प्रतिवादी संख्या 04 का 1/4 वा हिस्सा है, माफिक हक हिस्सा अनुसार ही वादीनी वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर साहुलियत अनुसार काश्त करती आ रही है। वादीनी का नाम मोहनी है तथा वादीनी को बोल चाल भाषा में सोहनी देवी नाम से भी जाना पुकारा जाता है लेकिन वादीनी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

के सभी दस्तावेज में नाम मोहनी दर्ज है। वादीनी ने अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि पर कृषि ऋण देने हेतु दिनांक 10/11/2022 को हल्का पटवारी से सम्पर्क कर नकले मांगी इस पर हल्का पटवारी ने कहा कि वादीनी का राजस्व रेकार्ड में तो सोहनीदेवी नाम दर्ज है, इसलिए पहले राजस्व रेकार्ड दुरुस्त करवा लो इसके बाद ही ऋण प्राप्त करना तथा वादीनी ने अपनी संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन की नकले प्राप्त की तथा अप्रार्थी संख्या एक के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना नाम सोहनीदेवी के स्थान पर मोहनी दर्ज कर दुरूस्ती करवाने हेतु कहा इस पर अप्रार्थी संख्या एक ने उक्त नाम न्यायालय से ही दुरूस्त करवाने हेतु कहा । इसलिए प्रार्थीया/ वादीनी को ग्राम साथीन की सीमा में स्थित भूमि खतरा नम्बर 653 रकबा 2.2895 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 02 के साथ–साथ वादीनी को 1/2 वां हिस्सा की खातेदार घोषित होने हेतु पेश करना पड़ रहा है तथा इसी प्रकार ग्राम साथीन चक I की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 41/1, 42 कुल खसरा 02 कुल रकबा 4.0450 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 02 से 04 के साथ–साथ वादीनी को 1/4 वा हिस्सा की खातेदार घोषित फरमायी जाकर राजस्व रेकार्ड में सोहनीदेवी के स्थान पर मोहनी दर्ज किये जाने हेतु वाद पेश करना पड़ रहा है। वादग्रस्त आराजी में वादीनी माफिक हक हिस्सा अनुसार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करती आ रही है। वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 653 रकबा 2.2895 हैक्टेयर में वादीनी 1/2 वा हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 सुखीदेवी 1/2 वां हिस्सा पर काबिज काश्त है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 41/1, 42 कुल खसरा 02 कुल रकबा 4.0450 हैक्टेयर मे वादीनी 1/4 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या दो से चार प्रत्येक 1/4 वा हिस्सा पर काबिज काश्त है । इस प्रकार वादीनी माफिक हक हिस्सानुसार ही खातेदार घोषित होने की हकदार है। इसलिए राजस्व रेकर्ड मे सोहनीदेवी के स्थान पर मोहनी दर्ज किया जाने हेतु वाद पत्र पेश करना पड़ रहा है। अतः वादीनी के हक मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद डिक्री फरमाया जाकर ग्राम साथीन चक I की राजस्व सीमा मे स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 653 रकबा 2.2895 हैक्टेयर मे प्रतिवादी संख्या दो के साथ साथ वादीनी मोहनी को 1/2 वा हिस्सा का खातेदार घोषित फरमावे तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 41/1, 42 कुल खसरा 02 कुल रकबा 4.0450 हैक्टेयर मे प्रतिवादी संख्या दो से चार के साथ साथ वादीनी मोहनी को 1/4 वा हिस्सा की खातेदार घोषित फरमायी जाकर सोहनीदेवी के स्थान पर मोहनी दर्ज किये जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

वादी के वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणो को समन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 02 से 04 के समन बाद तामिल अनुपस्थित जिस पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार पीपाड़ शहर को जारी समन बाद तामिल प्राप्त एवं न्यायालय में प्रस्तुत जवाब अनुसार राजस्व ग्राम साथीन चक I के खाता संख्या 862 खसरा संख्या 653 व खाता संख्या 132 खसरा संख्या 41/1 व खसरा संख्या 42 में वादीनी का नाम सोहनीदेवी के स्थान पर मोहनी दर्ज करने की अनुशंषा की है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

हमने पक्षकारान् बहस सुनी, वादी के वाद पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त जवाब का अवलोकन एवं उन पर मनन किया जिस पर वादी .का वादपत्र स्वीकार योग्य होने से वादी का वाद पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम साथीन चक I के खाता संख्या 862 खसरा संख्या 653 तथा खाता संख्या 132 खसरा संख्या 41/1 व खसरा संख्या 42 में वादीनी का नाम सोहनीदेवी के स्थान पर मोहनी दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

(भीमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 08/12/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भीमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)